रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 811] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2001/कार्तिक 15, 1923
No. 811] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2001/KARTIKA 15, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2001

का.आ. 1101(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उत्तरांचल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 108 और सं. 109 के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य का निष्पादन अगले आदेशों तक सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी आर डी बी) के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) द्वारा किया जायेगा।

[फा.. सं. एन एच-23014/3/2001-पी एंड एम]

एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2001

S.O. 1101(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the execution of the work relating to development and maintenance of the National Highways No. 108 and No. 109 in the State of Uttaranchal shall be exercisable by Border Roads Organisation (BRO) under Border Road Development Board (BRDB), until further orders.

[F. No. NH-23014/3/2001-P&M]

S. C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2001

का. आ. 1102(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना सं. एस आर ओ 1181 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

(क) क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
'12	राष्टीय राजमार्ग सं. 3[30.885 से 51.000 कि.मी. (उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा-धौलपुर खंड को छोड़कर)], सं. 11, सं. 12, सं. 14, सं. 15, सं. 65, सं. 65 का विस्तार, सं. 76, सं. 79 का राजस्थान राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11ए, सं. 11ए का विस्तार, सं. 89 और सं. 90	राजस्थान राज्य सरकार';

(ख) क्रम सं. 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

1	2	3
'13क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 (228 से 524.000 कि.मी. को छोड़कर), सं. 72, सं., 72ए, सं. 73, सं. 74 और सं. 87 का उत्तरांचल राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 94 (123 से 218 कि. मी. धरासू से यमुनोत्री के समीप कुठनाड़े तक)	उत्तरांचल राज्य सरकार'।

[फा. सं. एन एच-14012/2/97-पी एंड एम (भाग)]

एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना दिनांक 4-4-1957 की एस आर ओ सं. 1181 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसमें पिछली बार दिनांक 1-12-1998 के का.आ.सं. 1024(अ), दिनांक 4-2-1999 के का.आ.सं. 77(अ), दिनांक 6-3-2000 के का.आ.सं. 195(अ) और दिनांक 24-4-2001 के का.आ.सं. 350(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2001

S.O. 1102(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, *1956 (48 of 1956)*, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the then Ministry of Transport, number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the said notification, in the Schedule,

(a) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"12	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 30.885 to 51.000 (Uttar Pradesh/Rajasthan Border-Dholpur Section)], No. 11, No. 12 No. 14. No. 15, No. 65, Extn. of No. 65, No. 76, No. 79 as are situated within the State of Rajasthan and National Highways No. 11A, No. 11A Extension, No. 89 and No. 90	State Government of Rajasthan";

(b) for serial number 13A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"13A	So much of National Highways No. 58 (excluding from Km. 228 to Km. 524.000), No. 72, No. 72A, No. 73. No. 74, and No. 87 as are situated within the State of Uttaranchal and National Highways No. 94 (from Km. 123 to Km. 218 Dharasu to Kuthnane near Yamnotri)	State Government of Uttaranchal".

[F. No. NH-14012/2/97-P&M (Part)]

S. C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181 dated 4-4-1957 and last amended vide S.O. 1024(E) dated 1-12-1998, S.O. 77(E) dated 4-2-1999, S.O. 195(E) dated 6-3-2000 and S.O. 350(E) dated 24-4-2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.